



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235934
CG-DL-E-21052022-235934

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2218]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944

No. 2218]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

का.आ. 2338(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, कलेक्ट्रेट औफस. तहरी गढ़वाल (NH707A) के कि.मी 84 से 160 उत्तराखंड राज्य के तक के पेन्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH707A पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी. (टिहरी गढ़वाल)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH707A के कि.मी. 84 से 160 तक	उत्तराखंड	टिहरी गढ़वाल	धनौली	1 काण्डी बगलों की 2 सिया कैम्पटी
					नैनवाग	1 भेडियाना 2 काण्डीखाल 3 सैंजी 4 भटोली

[फा. सं. RO/UK/NH-707A/Chakrata-Mussoorie/LA/01/2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2022

S.O. 2338(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 lane with paved shoulders of km. 84.00 to 160.00 on (NH707A) in the State of UTTARAKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH707A in the State of UTTARAKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer.	84KM To 160KM	UTTARAKHAND	TEHRI GARHWAL	Dhanaulti	1 Kandi Baglon Ki

	(SLAO) Tehri Garhwal						2 Siya Kempty
					Nainbagh	1 Bhediyaana	2 Kandikhal
						3 Sainji	4 Bhatoli

[F. No. RO/UK/NH-707A/Chakrata-Mussoorie/LA/01/2]

RAJESH GUPTA, Director